संख्याः 362 /श0क्षे0दु0नि0(समाज कल्याण)/2005

प्रेषक,

सचिव,
समाज कल्याण,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी
पदेन जिला प्रबन्धक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम ,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर 2005.

विषयः– *स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत शहरी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना में अनुदान की धनराशि को रू0 6000/– से रू0 10000/– करने तथा योजना की विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण ।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु आवंटित धनराशि के अन्तर्गत संचालित शहरी एवं व्यावसायिक स्थलों पर दुकान निर्माण योजनान्तर्गत दी जाने वाली अनुदान की धनराशि को रू0 6000/– से बढ़ाकर रू0 10000/– कर दिया जाय तथा योनजा के क्रियांवयन हेतु विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण कर दिया जाय । शहरी एवं व्यवसायिक स्थल पर दुकान निर्माण योजना रोजगार के साथ–साथ स्थायी परिसम्पत्ति सृजन की दृष्टि से उपयोगी योजना है, इसलिए इस योजना के प्रभावी क्रियांवयन हेतु विस्तृत रूपरेखा निम्नवत् प्रेषित की जा रही है :–

पात्रताः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के वे परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं तथा शहरी अथवा व्यावसायिक स्थल पर जिनके पास दुकान निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध होगी , इस योजना हेतु पात्र होंगे।

लाभार्थी चयनः– जिला प्रबन्धक द्वारा योजना के समुचित प्रचार–प्रसार उपरान्त इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। पात्रता की पुष्टि के लिये लाभार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र तथा शहरी अथवा व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्धता की पुष्टि में खसरा खतौनी का विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरान्त जनपद को आवन्टित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन , चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों के लिये धनराशि की मांग प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम से की जायेगी।चयन समिति निम्नवत गठित की जाती हैः–

1–	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
3–	जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक	सदस्य
4–	सहायक प्रबन्धक	सदस्य–सचिव

दुकान निर्माण :– शहरी क्षेत्र अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में उपलब्ध स्वयं की भूमि पर लाभार्थी दुकान का निर्माण स्वयं करेगा । इस हेतु लाभार्थी को कुल रू0 38,000/– की धनराशि प्रदान की जायेगी।परियोजना लागत में दी जाने वाली अनुदान की धनराशि रू0 6000/– में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जो आदेश निर्गत होनी की तिथि से प्रभावी होगा । अनुदान के अतिरिक्त रू0 28,000/– की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जायेगी । ऋण की वसूली निर्माण के एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगी तथा सम्पूर्ण ऋण की धनराशि मासिक किस्तों के रूप में दस वर्ष की अवधि में लाभार्थी द्वारा निगम को लौटाई जायेगी।

क्रमशः .....2 पर

धनराशि आवन्टन की प्रक्रिया तथा निर्माण की अवधि :–

लाभार्थी को दुकान निर्माण हेतु धनराशि तीन किस्तों में क्रमशः रू0 13,000/–,16,000/– तथा रू0 9,000/– के अनुपात में दी जायेगी। दुकान का निर्माण प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त करने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रथम किस्त के उपयोग की सूचना एवं पुष्टि के बाद दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी। प्रथम किस्त के उपयोग की अवधि अधिकतम एक माह की होगी और इस धनराशि से दुकान का निर्माण कम से कम लिन्टल स्तर तक कराया जायेगा। द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त करने के एक माह के बाद उपयोग करना होगा तथा दुकान का लिन्टल का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। अन्तिम किस्त का भुगतान निगम अथवा समाज कल्याण के क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा स्थलीय सत्यापन के बाद ही किया जायेगा एवं किस्त अवमुक्त होने के एक माह के अन्तर्गत दुकान निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। दुकान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर वित्तपोषित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

दुकान का आकार 14X8 फिट होगा जिसमें 4X8 फिट का बरामदा भी सम्मिलित होगा। यदि लाभार्थी के पास भूमि इससे अधिक उपलब्ध है और वह निर्धारित धनराशि में दुकान का आकार इससे बढ़ा सकता है तो वह ऐसा कर सकेगा किन्तु निर्धारित मानक से कम आकार की दुकान नहीं बनाई जायेगी। दुकान निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल दुकान का ही निर्माण किया जायेगा किसी अन्य प्रकार का निर्माण यथा भवन , शौचालय आदि नहीं बनाया जा सकता है।दुकान में आगे की तरफ शटर लगाया जायेगा और दीवालों में खिड़की अथवा दरवाजा नहीं लगाया जायेगा।

अनुबन्ध :– धनराशि के समयान्तर्गत सदुपयोग तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप दुकान निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों से एक अनुबन्ध पत्र रू0 100/–के स्टैम्प पेपर में भराया जायेगा। अनुबन्ध में इस बात का प्राविधान होगा कि लाभार्थी यदि अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों को तोडेंगे तो दी गई पूरी धनराशि दण्ड ब्याज के सहित वसूली की जायेगी। अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टाम्प पेपर का व्ययभार लाभार्थी के द्वारा ही किया जायेगा। अनुबन्ध का प्रारूप अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें। इस योजना के लिये धनराशि भारत सरकार से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता से व्यय की जायेगी।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव, समाज कल्याण

पृष्ठां0सं0/ 362 /श0क्षे0दु0नि0/2005–06/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0 बहु0 वित्त एवं विकास निगम को सूचनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक , समाज कल्याण ,उत्तरांचल,हल्द्वानी(नैनीताल)
3– समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी ,उत्तरांचल।
5– समस्त लीड बैंक अधिकारी ,उत्तरांचल।
6– गार्ड पत्रावली।

सचिव,
समाज कल्याण

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक.....तद्नुसार शक सम्वत.....को

1– श्री / श्रीमती / कु0.....आयु.....वर्ष , पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री.....जाति.....उपजाति.....

निवासी भवन संख्या.....मोहल्ला / ग्राम.....जिसे डाकखाना.....तहसील.....जिला.....

एतत्पश्चात "लाभार्थी" कहा गया है जिसमें उसके उत्तराधिकारी,प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं। प्रथम पक्ष (2) उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 जो कि कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत एक सरकारी कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय जनपद देहरादून में है जिसे एतत्पश्चात "निगम" कहा गया है जिसमें उसके अभ्यर्पिती सम्मिलित हैं। द्वितीय पक्ष तथा (3) उत्तरांचल के राज्यपाल जिन्हें एतत्पश्चात "राज्यपाल" कहा गया है जिसमें उनके पद के उत्तराधिकारी एवं अभ्यर्पिती सम्मिलित हैं ,तृतीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि उत्तरांचल सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले ऐसे पात्र व्यक्तियों को जिनकी कुल वार्षिक आय रू015,976 / – ग्रामीण क्षेत्र हेतु तथा रू0 21,906 / – शहरी क्षेत्र हेतु से अधिक नहीं है अपनी भूमि पर ऋण एवं अनुदान से दुकान बनाने की योजना प्रारम्भ की है तथा लाभार्थी उक्त योजना के अधीन पात्र व्यक्ति है एवं .....मोहल्ला.....टाउन एरिया / नोटिफाइड एरिया / नगरपालिका / नगर महापालिका.....जिला.....जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची में दिया हुआ है और जो स्पष्टीकरण के लिये स विलेख में संलग्न रेखाचित्र में .....रंग से रंग दिया गया है , में स्थित भूखण्ड संख्या.....क्षेत्रफल..... जिसका वह एकमात्र स्वामी है जिस पर .....द्वारा दिनांक.....को निष्पादित पट्टा विलेख के अधीन.....से.....वर्ष की अवधि के लिये उसे पट्टा विलेख प्राप्त है ,पर निगम द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टियों की दुकान बनाने का इच्छुक है जिसके लिये लाभार्थी.....को दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर .....द्वारा कुल रू0. .....(शब्दों में)रू0.....जिसमें से रू0 10,000 / – शासकीय अनुदान के रूप में तथा रू0 .....निगम के ऋण के रूप में है , स्वीकृत किये गये हैं।

अतः यह अनुबन्ध निम्नलिखित का साक्षी है कि:–

1– निगम द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टियों की दुकान बनाने के लिये उक्त अनुदान तथा ऋण की धनराशि नगद रूप में लाभार्थी को निगम द्वारा तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जायेगी।दुकान का निर्माण प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त करने की तिथि से 60 दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

2– निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई उक्त धनराशि का उपयोग लाभार्थी द्वारा केवल उपरिलिखित भूमि पर निगम द्वारा निर्धारित विशिष्टयों की दुकान निर्मित करने के लिये किया जायेगा।

3– ऋण की धनराशि पर लाभाथी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4– लाभार्थी द्वारा निगम से प्राप्त ऋण का भुगतान ऋण की अन्तिम किस्त अवमुक्त किये जाने के एक वर्ष पश्चात से एक सौ बीस (120) समान मासिक किस्तों में रू0.....प्रति किस्त की दर से निगम को किया जायेगा।

5– उपर्युक्त करार के प्रतिफलस्वरूप लाभार्थी इस विलेख की अनुसूची में उल्लिखित अपन निजी भूखण्ड ,उस पर लाभार्थी द्वारा राज्य सरकार / निगम द्वारा स्वीकृत अनुदान / ऋण से निर्मित की जाने वाले दुकान सहित ,इस विलेख में उल्लिखित प्रसविदाओं के अनुसार ऋण की अदायगी तक निगम के पक्ष में साधारण बन्धक के रूप में बंधकित करता है। लाभार्थी एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता है कि उपर्युक्त भूखण्ड सभी प्रकार के विल्लंगमों से मुक्त है।

6– लाभार्थी मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित दिनांक अथवा उसके पूर्व निगम के जिला..... .....स्थित कार्यालय या निगम द्वारा निर्दिष्ट बैंक अर्थात.....में निगम के खाते में जमा करके करेगा। उक्त समस्त किस्तों के उक्तवत भुगतान करने के बाद लाभार्थी को दुकान का पूर्ण स्वामित्व स्वयं ही प्राप्त हो जायेगा।

7– लाभार्थी दुकान का उपयोग स्वयं उद्योग करने हेतु करेगा तथा उसे न तो दूसरे व्यक्ति और न उसे किराये पर उठाएगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार हस्तान्तरित करेगा।

8– लाभार्थी दुकान का रखरखाव अपने व्यय पर करेगा।

9– दुकान पर अथवा उसके संबंध में लगाये जाने वाले सामस्त प्रकार के करों ,दरों का भुगतान लाभार्थी करेगा।

10– लाभार्थी एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह अनुदान तथा निगम से प्राप्त ऋण की धनराशि का उपयोग केवल प्रस्तावित दुकान निर्माण हेतु ही करेगा और इस धनराशि का दुरूपयोग तथा निर्धारित अवधि के भीतर न किये जाने की दशा में राज्य सरकार तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह लाभार्थी को भुगतान की गई अनुदान तथा ऋण की समस्त धनराशि लाभार्थी से एकमुश्त रूप में तत्काल वसूल कर ले।

11– लाभार्थी एतद्द्वारा यह भी वचन देता है कि यदि इस बात का सिाक्ष्य मिले कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का पात्र निर्धन व्यक्ति नहीं है उसके पास पहले से कोई दुकान थी और उसने धोखे से दुकान निर्माण करने हेतु अनुदान एवं ऋण की धनराशि प्राप्त कर ली है अथवा लाभार्थी ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार/निगम को यह अधिकार होगा कि वह लाभार्थी को दी गई समस्त अनुदान एवं ऋण की धनराशि उससे एकमुश्त रूप में तत्काल वसूल कर ले।

12– इस विलेख के निष्पादन पर देय स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन चार्जेज का व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

13– इस विलेख के अधीन लाभार्थी द्वारा देय समस्त धनराशि.....के प्रमाणपत्र पर , जो अन्तिम निश्चायक तथा लाभार्थी पर बाध्यकारी होगा ,भूराजस्व के बकाये की भॉति वसूली कराने के व्यय सहित , लाभार्थी से वसूल की जायेगी ।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप या विलेख के पक्षों में इस विलेख का ऊपर लिखित दिनांक एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये।

अनुसूची

हस्ताक्षरित		हस्ताक्षरित		हस्ताक्षरित
1– लाभार्थी	2–	निगम के जनपद स्तरीय प्रतिनिधि निगम के लिए व उसके द्वारा प्राधिकृत		उत्तरांचल के राज्यपाल के लिए तथा उनकी ओर से
साक्षी		साक्षी		साक्षी,
1–		1–		1–
2–		2–		2–